

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

का0आ0सं0-01 / स्था0-26-07 / 2022-

कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक- ०९/५/२५

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 की कंडिका-4 के तहत निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का संकल्प संख्या-17903 दिनांक-29.12.2014 की कंडिका-3 के अनुसरण में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-291 सहपठित ज्ञापांक-3595 दिनांक-10.09.2024 द्वारा गठित आंतरिक समिति के सदस्य सचिव के रूप में नामित श्री सुनील कुमार, वर्मा, उप सचिव के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री अनिल कुमार गुप्ता, उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के रोकथाम हेतु विभागीय आंतरिक समिति के सदस्य सचिव के रूप में नामित किया जाता है। श्री गुप्ता से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :-

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	समिति में धारित पद	दूरभाष नम्बर	ई-मेल पता
1	श्री अनिल कुमार गुप्ता, उप सचिव	सदस्य सचिव	9473214850	kumarguptaanil1964@gmail.com

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(बिनय कुमार सिन्हा)
सरकार के उप सचिव
पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-01 / स्था0-26-07 / 2022-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभाग अन्तर्गत समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव
पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-01 / स्था0-26-07 / 2022-

प्रतिलिपि:- श्री अनिल कुमार गुप्ता, उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव
पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-01 / स्था0-26-07 / 2022-

प्रतिलिपि:- प्रोफेसर अमृता धिमन, असिस्टेंट प्रोफेसर, विकास प्रबंधन संस्थान, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव
पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-01 / स्था0-26-07 / 2022-

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान, बिहार, पटना एवं परियोजना निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव
पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-01 / स्था0-26-07 / 2022-

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता IT, WRD IT Centre, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव